

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)3962/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

श्री धनसिंह पाण्डे जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) हिण्डोनसिटी में कार्यरत थे, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30.06.2018 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री धनसिंह पाण्डे के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।

(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:- प.2 (सब)3962/आ.कृ./गुप-9/14086-93

दिनांक: 01/03/2021

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (ति0) भरतपुर खण्ड भरतपुर।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद् करौली।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) हिण्डोनसिटी।
- 5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- श्री धनसिंह पाण्डे, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(वि) हिण्डोनसिटी।
- 7- निजी पंजिका।

(उदयभान सिंह)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)